

पत्रांक-5/वि1-70/2016.....2231/

झारखण्ड सरकार

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

योजना भवन, तृतीय तल्ला, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची-834002.

---

प्रेषक,

अबु इमरान, (भा0प्र0से0)  
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

**Bharat Arogya and Gyan Mandir,  
Birla Campus, Vill-Ara, P.O.-Mahilong,  
Ranchi-Puruliya Highway,  
Ranchi-835103**

राँची/ दिनांक.....04/09/17

विषय:-

सरला बिरला विश्वविद्यालय, राँची की स्थापना एवं संचालन के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके प्रस्ताव के अनुसार सरला बिरला विश्वविद्यालय, राँची की स्थापना सरला बिरला विश्वविद्यालय अधिनियम 2017 के द्वारा की गई है। अधिनियम को विधि विभाग के अधिसूचना संख्या-एल0जी0-02/2017-69/लेज0, दिनांक-04.07.2017 (हिन्दी) तथा अधिसूचना संख्या-एल0जी0-02/2017-70/लेज0, दिनांक-04.07.2017 (अंग्रेजी) द्वारा अधिसूचित किया गया है। अधिनियम को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक गजट संख्या-504, दिनांक-20.07.2017 के द्वारा प्रकाशित किया गया है।

अतः विश्वविद्यालय के लिए अधिनियम में उल्लेखित Statutory Post की नियुक्ति, UGC में सूचीबद्ध करना, प्रथम परिनियम का निर्माण, मॉडल गाइडलाइन्स का अनुपालन, UGC/Regulatory body के Norms & Regulations का अनुपालन करते हुए विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन करने की कृपा करेंगे।

अनुलग्नक:-अधिनियम की प्रति।

  
Registrar  
SARALA BIRLA UNIVERSITY

विश्वासभाजन,  
  
(अबु इमरान)  
निदेशक, उच्च शिक्षा।